13 भारत में मलिन बस्तियाँ (Slums in India)

नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती एवं वंचन (Slums and Deprivation in Urban Areas)

गन्दी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहाँ निवास-स्थान अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त होते हैं, जिनकी बनावट त्रुटिपूर्ण होती है जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव होता है या इनमें से कुछ कारकों जैसे-मल-जल निकास का अभाव, शुद्ध पेय जल का अभाव, अस्वास्थ्यकर वातावरण के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद होता है। गन्दी बस्ती की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी निम्न विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है:-

भारत में गंदी बस्ती की समस्या का स्वरूप (Nature of Slums Problem in India)

भारत में अतिनगरीकरण (Over-urbanization) एवं नगरीय गरीबी के कारण गंदी बस्तियों का विकास एक प्रमुख नगरीय समस्या रही है। नगरों में जीवनयापन के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी नगरों की ओर प्रवास करती है और यहाँ पर उनको आय इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि वह सुरक्षित आवासों की व्यवस्था कर पाये और खाली पड़ी भूमि पर अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। इन बस्तियों में आवासीय सुविधाओं यथा हवा, प्रकाश, पेयजल, सफाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है।

भारत के महानगरों में इन गंदी बस्तियों का संकेन्द्रण (Concentration) सर्वाधिक है। मुम्बई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती के रूप में जानी जाती है। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में इन बस्तियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुम्बई में चाल, कानपुर में अहाता, मद्रास में चेरी, दिल्ली में झुग्गी आदि। नाम चाहे कुछ भी हो परंतु इन बस्तियों के संदर्भ में सर्वत्र एक समानता विद्यमान रहती है कि यह गंदी बस्तियाँ निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है और अनेक बुराइयाँ जैसे-मद्य व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन, बाल अपराध, अशिक्षा, अज्ञानता, वेश्यावृत्ति आदि एवं सांस्कृतिक विघटन (Cultural Dissolution) का केन्द्र है।

भारत में नगरीय जनसंख्या का पांचवां भाग गन्दी बस्तियों में निवास करता है। 1981 में भारत की जनसंख्या 68.51 करोड़ थी जिसमें 21.81 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 2011 में देश की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गयी और नगरीय जनसंख्या (Urban Population) में वृद्धि के साथ-साथ गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है फलतः नगरों में भूमि की कीमत, इमारती सामान व श्रम की कीमतों में वृद्धि हुई। अतः नए मकानों का निर्माण काफी कठिन हो गया और कई मंजिले मकान बनाने पड़े जिनमें हवा, रोशनी, जल व बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाता है। उनमें स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है।

गन्दी बस्तियों के विकास के कारक (Causes of Development of Slums)

'द नेशनल इंस्ट्टियूट ऑफ अर्बन अफेयर्स', नई दिल्ली के अनुसार गन्दी बस्ती प्रमुखतया तीन कारणों से बनती है:-

भारत के संदर्भ में सामान्य रूप से गन्दी बस्तियों के निर्माण एवं विकास के अनेक कारकों की चर्चा की जा सकती है, जैसे:-

1. भारत में औद्योगिकरण (Industrialization) एवं नगरीकरण ने गन्दी बस्तियों को जन्म दिया है। उद्योगों में काम करने के लिए गाँवों से आने वाले लोगों को निवास के लिए जब कम किराए पर अच्छे मकान उपलब्ध नहीं हो पाते तो वे गन्दे मकानों में रहने लगते हैं अथवा खाली पड़ी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर कच्चे- पक्के मकान अथवा झोपड़ियाँ बना लेते हैं।
2. भारतीय ग्रामों में उद्योगों एवं कृषि के पतन के कारण लोग व्यवसाय की तलाश में नगरों में आते हैं और नगरों में आने पर भी वे अपनी ग्रामीण निवास की आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और ऐसी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं।
3. भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जितनी तीव्र गति से हुई है, उतनी तीव्र गति से मकानों का निर्माण नहीं होने से लोगों के लिए आवास का अभाव पैदा हुआ है और लोग

भीड़-भाड़ युक्त मकानों में अथवा एक ही मकान में कई परिवार मिलकर रहने लगते हैं।

4. भारत में जब कभी प्राकृतिक प्रकोप (Natural Disaster) होता है अर्थात् अकाल, अतिवृष्टि, भूकम्प एवं संक्रामक रोग आते हैं तो लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ जनाधिक्य (Over Population) के कारण गन्दी बस्तियाँ पनपने लगती है।
5. नगरों में मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, जल, बिजली, शिक्षा, व्यापारिक सुविधा, उन्नति के अवसर आदि की उपलब्धता के कारण लोग आकर्षित होकर वहां निवास के लिए आते हैं। उनके लिए आवास के अभाव के कारण नगरों में गन्दी बस्तियों का निर्माण एवं प्रसार हुआ है।
6. लम्बे समय तक गन्दी बस्तियों में रहने के कारण लोग इस प्रकार से रहने के आदी हो जाते हैं और एक प्रकार का जीवन दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, वे उस बस्ती को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। इस प्रकार एक गरीबी की संस्कृति का विकास होता है, जिससे उनको किसी अन्य स्थान पर बसाने पर भी वे उसी प्रकार से रहना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के संदर्भ में भी यह बात शत-प्रतिशत लागू होती है।
7. नगरों में श्रमिकों की अधिकता है जो अपने कारखाने एवं काम के स्थान के पास ही रहना चाहते हैं। फलस्वरूप वहां गन्दी बस्तियाँ बन जाती हैं।
8. जातीय भेदभाव (Caste Discrimination) के कारण भारतीय नगरों में भी जातिगत मुहल्ले पाए जाते हैं। एक जाति के लोग एक स्थान पर ही रहते हैं। फलतः निम्न जातियों की बस्तियां अपेक्षाकृत अधिक दयनीय स्थिति में स्वतः विकसित हो जाती है।
9. भारत में प्रान्तीयता, जातिवाद, भाषावाद एवं साम्प्रदायिकता की भावना के कारण भी एक ही धर्म, भाषा, संस्कृति व प्रान्त के लोग साथ-साथ रहना चाहते हैं। फलस्वरूप भीड़-भाड़युक्त गन्दी बस्तियों का निर्माण हुआ है।
10. भारत में देशान्तरगमन करने की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी गन्दी बस्तियों को जन्म दिया है करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों (Refugees) ने गन्दी-बस्तियों के विस्तार में योगदान दिया है।
11. भारत में गन्दी बस्तियों के निर्माण का प्रमुख कारण गरीबी है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे ऊंचे किराए के स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छे मकानों को किराए पर लेकर रह सकें। परिणामस्वरूप वे सस्ते किराए के मकानों में रहते हैं जो गन्दी बस्तियों में ही उपलब्ध होते हैं।
12. भारत में गन्दी बस्तियों के विकसित होने का एक कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों एवं इन बस्तियों में सफाई, सुविधा आदि के प्रति उपेक्षा बरतना भी है।

गन्दी बस्तियों के दुष्परिणाम (Consequences of Slums)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आवास एवं गन्दी बस्तियों की गम्भीर समस्या है जो अनेक आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक एवं पारिवारिक दोषों को जन्म देती है और राष्ट्रीय प्रगति को अवरूद्ध करती है, जैसेः-

1. आवास की दुर्व्यवस्था होने एवं गन्दी बस्तियों में रहने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव के लिए शुद्ध हवा, जल एवं रोशनी अति आवश्यक है। इनके अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती है और शरीर कमजोर हो जाता है।
2. गन्दे वातावरण में रहने के कारण सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आती है और लोगों की मनोवृत्ति आपराधिक बन जाती है और उनका नैतिक पतन हो जाता है। उनमें चोरी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी और जुआ खेलने जैसी आदतें जन्म लेती हैं। मकानों की उचित व्यवस्था के अभाव में लोग गाँवों से अपनी स्त्रियां साथ नहीं ला पाते हैं। अतः वे वेश्यागामी (Prostitute) हो जाते हैं। एक ही कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और वयस्क व्यक्तियों के यौन व्यवहारों को बच्चे देखते हैं तो उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है यही कारण है कि भारत के गन्दी बस्तियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं जिससे बाल अपराध एवं आवारागर्दी पनपती है।
3. श्रमिकों की कुशलता के लिए आवश्यक है कि उनका मकान ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध हवा व रोशनी आ सके ताकि वे अपनी थकावट दूर कर सकें एवं कार्य करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकें। भारत में गंदी बस्तियों में स्वच्छ एवं पर्याप्त मकानों के अभाव में श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है।
4. गंदी बस्तियों में आवास की दुर्व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देती है। वह असामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है, शराब एवं मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगता है। जुआ खेलने, वेश्यागमन करने एवं अपराधी प्रवृतियों में लगे रहने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है।
5. व्यक्तित्व विघटन (Personality Dissolution) पारिवारिक विघटन को भी जन्म देता है। व्यक्ति का परिवार के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है, फलतः परिवार में असामंजस्य बढ़ता है और व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करने लगता है।
6. बिगड़ी हुई आवास-व्यवस्था से उत्पन्न वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, सामाजिक एवं सामुदायिक विघटन (Community Dissolution) को भी जन्म देता है। व्यक्ति व परिवार की हानि से अन्ततः समाज व समुदाय को हानि होती है।

7. गन्दी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों की कार्यक्षमता कम होती है जिसका प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है और कम आय होने पर उच्च जीवनस्तर व्यतीत करना सम्भव नहीं हो पाता यहाँ तक कि लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी जुटाने में असमर्थ होते हैं। फलतः उनका झुकाव आपराधिक गतिविधियों की ओर होता है।

स्पष्ट है भारतीय नगरों में गन्दी बस्तियों के विकास ने कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न किया है फिर भी नगरों में इनका अस्तित्व रोजगार की तलाश में आने वाले गरीब प्रवासियों के लिए आशीर्वाद का रूप है। इसमें ही असहाय लोग जैसे-औद्योगिक श्रमिक, दिहाड़ी-मजदूर, फेरी वाले, छोटे दुकानदार, सब्जी बेचने वाले तथा वे अन्य तमाम लोग जो नगर की महत्वपूर्ण सेवाओं में लगे होते हैं, आश्रय पाते हैं।

गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु किये गये प्रयास (Efforts Made to Eradicate of Slums)

आवास एवं गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार, नगरपालिकाओं एवं बीमा विभाग द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। गंदी बस्ती के उन्मूलन और सुधार हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया जिसने नगरों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण का कार्य एवं झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति सुधारने हेतु उपाय किये, साथ ही पोषाहार पूरक (Nutritional Supplement) कार्यक्रम द्वारा इस निम्न वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए गये।

इन्दिरा गांधी द्वारा शुरु किये गये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी मलिन बस्तियों के सुधार के अनेक कार्यक्रम शामिल थे। सूत्र 14(4) के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Weaker Section) के लिए आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। सूत्र 14(5) के अन्तर्गत निम्न आय वर्गीय आवासों के निर्माण का प्रावधान किया गया और सूत्र 15 के अन्तर्गत गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार के कार्यक्रमों को समाहित किया गया।

गंदी बस्तियों के संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) हेतु 1970 में आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) की स्थापना की गयी। हुड़को द्वारा गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु, गन्दी बस्तियों के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु तथा पर्यावरण में सुधार एवं संरचना आधारित स्वच्छता के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारी एवं बीमादारों को भवन-निर्माण हेतु कम ब्याज पर धनराशि प्रदान की जाती है।

1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक गृह ऋण खाता योजना, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवास के लिए पुनर्वित्त योजना तथा हुड़को के माध्यम से भूमि विकास और वित्तीय कार्यक्रम चला रहा है। 1991 में भारत में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ थी यद्यपि कुछ योजनाओं द्वारा अब तक 50 लाख लोगों के लिए ही आवास की सुविधाएं जुटायी गयी हैं। विभिन्न योजनाओं के द्वारा पानी की सुविधाएं देने, नालियों की व्यवस्था करने, गलियों को सुधारने और शौचालय बनाने की व्यवस्था भी की गयी है।

2008 में दिल्ली सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के आवास की समस्या के समाधान हेतु राजीव रत्न आवास योजना के तहत ढेर सारे मकान आवंटित किये जा रहे हैं।

सरकार ने हाल ही में राजीव आवासीय योजना एवं स्लम मुक्त भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारम्भ किया है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं; जैसे–

1. 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय नगरीय संस्थाओं का गठन किया गया और नगर निगम के द्वारा गंदी बस्तियों में संरचनात्मक सुविधा (Structural Facility) उपलब्ध कराना।
2. विदेशी सहायता प्राप्त कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी इस दिशा में क्रियाशील रहे हैं जैसे-
   (क) इंग्लैण्ड के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता प्राप्त गन्दी बस्ती सुधार परियोजना
   (ख) जर्मनी से सहायता प्राप्त गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम
3. इस दिशा में स्वयं सेवी संगठन द्वारा कई प्रयास किये गए हैं जैसे-
   (क) गन्दी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना।
   (ख) गंदी बस्ती में हो रहे सांस्कृतिक अपघटन (Cultural Decomposition) रोकना।
   (ग) इनकी महिलाओं में स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरण व सहायता प्रदान करना।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestions)

भारत में गन्दी बस्तियों की समस्या एवं इनके उन्मूलन के प्रयासों से स्पष्ट है कि गन्दी बस्तियाँ नगरीकरण से संबंधित एक प्रमुख समस्या है जो मुख्यतः अतिनगरीकरण एवं नगरीय गरीबी का परिणाम रही है। इस समस्या के समाधान में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों से गन्दी बस्ती की समस्या के समाधान की दिशा में निश्चित रूप से कई सफलताएं दर्ज की गई है और आज भारत के लगभग सभी महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उनके आवास व अवसंरचनात्मक (Infrastructural) सुविधाओं का स्तर ऊंचा हुआ है और इनके घरों में टी.वी., कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे विलासितापूर्ण उपकरणों को सहजता से देखा जा सकता है। इन गंदी बस्तियों में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो मोटर साइकिल से चलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन यापन करते हैं। नगर निगम एवं विभिन्न योजनाओं के तहत इन बस्तियों में पीने का पानी, चलायमान

शौचालय की व्यवस्था, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु दवा का छिड़काव, इनके बच्चों को शिक्षा देने हेतु कई कार्यक्रमों के तहत किये जा रहे प्रयास, इनके क्षेत्र में संबंधित समस्याओं के समाधान में आज व्यापक रूप से क्रियाशील है।

परंतु यह यथार्थ का केवल एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष यह है कि आज भी हम नगरीय दृश्यपटल से गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में पूरी तरह सफल नहीं हो पाये हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद इनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। सड़क, रेल लाइन की इर्द-गिर्द गन्दी बस्तियों का विकास नगरों की एक सामान्य समस्या बनी हुई है और भारत के आज लगभग सभी बड़े नगरों में ये गन्दी बस्तियां धब्बे की तरह आज भी विद्यमान है।

गन्दी बस्ती उन्मूलन की दिशा में किये गये तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इसकी निरंतरता के लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; जैसे-

1. नगरीय गरीबी (Urban Poverty) आज भी भारतीय नगरों का प्रमुख पक्ष है जो गंदी बस्ती उन्मूलन के प्रयास के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में चट्टान की तरह है।
2. नगरीय जनसंख्या मुख्यत: गन्दी बस्तियों की संख्या में प्राकृतिक रूप से होने वाली वृद्धि और नगरीय प्रवास (Urban Migration) के कारण होने वाली तीव्र वृद्धि आज भी जारी है। फलत: सरकार द्वारा किये गये प्रयास कम पड़ जाते हैं और पहले से विद्यमान नगरीय आधारभूत संरचना पर निरंतर भार बढ़ता जा रहा है जिसकी परिणति गन्दी बस्तियों के विकास के रूप में सामने आ रही है।
3. नगरीय आवासों पर भार बढ़ने से एक तरफ किराये की दर में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ श्रमिकों के ग्रामीण नगरीय प्रवास में वृद्धि से नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ाकर उनकी मजदूरी को न्यूनतम कर दिया है। फलत: वे मकान किराया वहन ना कर पाने के कारण गन्दी बस्ती की ओर उन्मुख हो जाते हैं।
4. इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का एक प्रमुख कारण गन्दी बस्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव एवं सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है जिन्होंने सरकारी प्रयासों को लक्षित समूह तक पहुँचने में बाधक के रूप में काम किया है और स्वयं उसका एक बहुत बढ़ा हिस्सा गटक गया है।

   गरीबी की संस्कृति (Culture of Poverty) आज भी बस्तियों के अनियंत्रित विस्तार का एक प्रमुख कारण है क्योंकि ये गन्दी बस्ती में रहने में सहज महसूस करते हैं और सरकार द्वारा आवंटित स्तरीय आवास को किराये पर लगाकर पुन: गन्दी बस्ती में रहने चले जाते हैं।
5. ठेकेदारों, बाहुबलियों द्वारा गन्दी बस्ती को व्यवसाय के रूप में चलाना इसकी निरंतरता का प्रमुख कारण है क्योंकि ठेकेदार या ताकतवर लोग सरकारी जमीनों पर मौका मिलते ही गन्दी बस्ती विकसित कर देते हैं और उन्हें किराये पर लगाकर व्यवसाय के रूप में चलाते हैं।

अत: निष्कर्ष है कि भारतीय नगरों की प्रमुख समस्या के रूप में गन्दी बस्तियों का उन्मूलन तब तक संभव नहीं है जब तक इनकी निरंतरता को बनाये रखने वाले उपरोक्त कारकों के सन्दर्भ में इसके उन्मूलन का प्रयास न किया जाय और इसके लिए निम्न सुझावों पर विचार आवश्यक है।

गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु सुझाव
(Suggestions for Eradication of Slums)

1. ग्रामीण विकास को तीव्र करके ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोका जाये क्योंकि गन्दी बस्ती के विकास का प्रमुख कारण ग्रामीण मजदूरों को शहरों की ओर प्रवास रहा है। इस दिशा में PURA जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को दृढ़ता से लागू किया जाना एक बेहतर प्रयास हो सकता है।
2. प्राकृतिक जनसंख्या (Natural Population) वृद्धि को नियंत्रित किया जाए क्योंकि यह अन्य समस्याओं के साथ-साथ गन्दी बस्तियों के विकास में सहयोग देती है।
3. गरीबी का तीव्र उन्मूलन किया जाए और इसके लिए गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को ईमानदारीपूर्वक लागू करवाना इस दिशा में बेहतर होगा।
4. नगरों में आवास की समस्या का समाधान किया जाए इस हेतु-
   (क) गन्दी बस्ती वालों में स्वयं बेहतर आवास निर्माण हेतु प्रेरणा विकसित की जाए।
   (ख) इनको आवास निर्माण हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाय।
   (ग) ऋण उपलब्धता कराने वाले एजेन्सियों को सरल एवं दुरुस्त किया जाए।
   (घ) इन सभी कार्यों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जाए।
5. जो गन्दी बस्तियां विद्यमान हैं उनका नवीनीकरण किया जाए और इनमें पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं जैसे जल निकास, शौचालय, पेयजल, दवाओं के छिड़काव आदि की व्यवस्था की जाए।
6. इनमें रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन एवं प्रस्थिति (Status) में सुधार हेतु प्रेरित किया जाए ताकि वे गरीबी की संस्कृति से बाहर निकल सकें।
7. उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जायें इस हेतु उन्हें स्वरोगजार हेतु प्रेरित किया जाए एवं सहायता करना, उनमें शिक्षा का प्रसार करना आदि कार्यों में स्वयं सेवी

संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और युवाओं की भागीदारी में वृद्धि की जाए।

8. उन ठेकेदारों एवं बाहुबलियों को जो गन्दी बस्तियों को व्यवसाय के रूप में चलाते हैं, हतोत्साहित (Discouraged) किया जाय, इनकी गन्दी बस्तियों को जब्त किया जाए।
9. नगरों में किराये की दर में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जाए और इसको प्रति व्यक्ति होने वाली आय में वृद्धि के साथ समायोजित (Adjust) किया जाय।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम - NSDP

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की शुरूआत एवं उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कानपुर (उत्तर प्रदेश) में अगस्त 1996 में की थी। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशों को शहरी स्लम क्षेत्रों का विकास करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की जा रही थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलापूर्ति, बरसाती जल निकासी, समुदाय स्नान घर, मौजूदा लाइनों को चौड़ा करने एवं नई लाइनें बिछाने, सीवरेज, सामुदायिक शौचालयों एवं सड़क पर बिजली की व्यवस्था इत्यादि जैसी भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए शहरी स्लम बस्तियों का सुधार करना था। इसके अलावा एनएसडीपी के तहत फंड राशियों को पूर्व स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल स्वास्थ्य जिसमें जरूरी दवाओं को पिलाना शामिल है इत्यादि जैसी सामाजिक सुविधाओं एवं सामुदायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आश्रय उन्नयन तथा नए मकानों का निर्माण भी एक हिस्से के रूप में था।

इस कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की स्लम आबादी के आधार पर योजना आयोग ने वार्षिक रूप से फंड राशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किया था। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को फंड की राशि जारी की थी और गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेशों को फंड जारी किए थे। राज्य सरकारों ने क्रियान्वयक एजेंसियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप फंड की राशि आगे जारी की थी। राज्यों में इस कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने के लिए शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया था।

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन (Slum Free India's Mission)

राजीव आवास योजना (RAY) के साथ मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन (Slum Free India's Mission) को प्रायोजित (Sponsored) करने की केन्द्र सरकार की योजना है। इसकी शुरूआत के बाद 2013-2022 की अवधि के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन चरण को मिशन मोड के तहत चलाया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य सभी मलिन बस्तियों को औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत लाना है और लोगों को वैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ (Basic Facilities) प्रदान करना है, जो उस शहर के अन्य लोगों को प्राप्त है। इस मिशन के तहत शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास समूह की योजना तैयार करने के अलावा उनकी सुविधाओं के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव कर औपचारिक प्रणाली की असफलताओं को दूर किया जाएगा।

मिशन के क्रियान्वयन चरण के दौरान RAY के तहत देश के सभी नगरों, शहरों एवं शहरी जमाव को शामिल किया जाएगा। शहर के विकास, शहर में झुग्गियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक जनसंख्या के अलावा समाज के अन्य कमजोर एवं पिछड़े वर्गों (Weaker and Backward Classes) की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों, धार्मिक नगरों, धरोहर एवं पर्यटक स्थलों का चयन राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। इस मिशन के तहत पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, शहरों एवं शहरी जमाव वाले क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परियोजना लागत का 75 प्रतिशत एवं विशेष दर्जे वाले राज्यों में परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन के लिए राजीव आवास योजना में आवश्यक सुधार निर्धारित समय में किए जाएंगे। सुधारों के आधार पर ही केन्द्रीय सहायता निर्भर करेगी। इस हेतु किए जाने वाले सुधार निम्न हैं:-

1. मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दीर्घकाल के लिए गिरवी योग्य, नवीकरणीय (Renewable) योग्य पट्टा अधिकार प्रदान करना।
2. फ्लोर स्पेस इंडेक्स का 15 प्रतिशत या रहने योग्य इकाइयों का 35 प्रतिशत आरक्षित रखना, इनमें से जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Weaker Section) के लिए अधिक हो।
3. शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निगम बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित रखना।
4. मलिन बस्तियों में रहने वाली एवं शहरी गरीबों की समस्याओं के निराकरण के लिए निगम संवर्ग (Corporate Cadre) की स्थापना।
   (i) 'सम्पूर्ण शहर' आधार पर मलिन बस्ती मुक्त शहर कार्य योजना (SFCPOAS) तैयार करना। इस योजना के तहत चयनित शहरों को अपनी योजना तैयार करने में मदद दी जाएगी। इसमें अनुमानित निवेश लागत तथा प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा मलिन बस्तियों में सुधार व विकास के अलावा अगले 10-15 वर्षों के लिए शहरी गरीबों हेतु आधारभूत नागरिक अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना शामिल है।

(ii) 'संपूर्ण मलिन बस्ती' आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना। इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर मलिन बस्तियों के लिए शहरों द्वारा आवासीय विशेष परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद एकीकृत 'संपूर्ण मलिन बस्ती' दृष्टिकोण के तहत चयनित मलिन बस्तियों में आवास, आधारभूत नागरिक संरचना (Basic Civic Structure) एवं सामाजिक सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

जनगणना 2011 : मलिन बस्तियों पर रिपोर्ट (Census 2011 : Report on Slums)

1. 21 मार्च, 2013 को आवास सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना, 2011 के आँकड़ों पर आधारित 'मलिन बस्तियों में आवासीय स्टॉक, सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट' (Report on Housing Stock, Amenities and Assets in Slums) जारी की गयी।
2. जनगणना 2011 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश के आवास सूचीकरण ब्लॉकों में कुल 1.73 करोड़ घर मलिन बस्ती घरों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जिनमें 1.37 करोड़ परिवार रहते है।
3. देश के 19 मिलियन प्लस (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) शहर ऐसे हैं जहाँ 25 प्रतिशत से अधिक परिवार मलिन बस्तियों में निवासित हैं।
   - इनमें से 71 प्रतिशत 6 राज्यों, यथा-महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में निवासित हैं।
   - इन 19 शहरों में से 5 शहरों, यथा-मुंबई, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, जबलपुर एवं मेरठ में 40% से अधिक मलिन बस्ती परिवार हैं।
4. मलिन बस्तियों में पीने के पानी के रूप में 74 प्रतिशत परिवारों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत नल है जबकि इसके बाद हैंडपंप/ट्यूबवेल (20.3 प्रतिशत) का स्थान है।
5. मलिन बस्तियों के 56.7 प्रतिशत परिवारों को पेयजल का स्रोत उनके आवासीय परिसर में तथा 31.9 प्रतिशत परिवारों को यह घर से 100 मीटर के भीतर उपलब्ध है जबकि 11.4 प्रतिशत परिवारों को 100 मीटर से अधिक दूर से पेयजल लाना पड़ता है।
6. 90 प्रतिशत से अधिक मलिन बस्ती परिवार प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं।
7. मलिन बस्ती परिवारों में से 66 प्रतिशत को अपने आवासीय परिसर के भीतर शौचालय सुविधा उपलब्ध है।
   - 18.9 प्रतिशत मलिन बस्ती परिवार खुले में शौच करते हैं जबकि 15.1 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं।
8. मलिन बस्ती क्षेत्रों में 53.2 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त करते हैं तथा 70 प्रतिशत परिवारों के घरों में टेलीविजन एवं 18.7 प्रतिशत परिवारों के पास रेडियों सुविधा है।
9. मलिन बस्तियों में केवल 10.4 प्रतिशत परिवारों के घरों में कंप्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध हैं जिनमें से मात्र 3.3 प्रतिशत के पास इंटरनेट कनेक्शन है।

✪✪✪✪✪